बिहार सरकार
भवननिर्माण विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : भवन/स्था0-02-विविध-910/2015 10661(भ) पटना, दिनांक 28/10/16

वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-4685(2) दिनांक-25.06.2003 अधिसूचना संख्या-7549 दिनांक-13.07.2010 एवं अधिसूचना संख्या-6068 दिनांक-13.06.2013 द्वारा गठित नियमावली की धाराओं के आलोक में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रभावी होने की तिथि-09.08.99 को नियमित रूप से नियुक्त वैसे कर्मियों जिन्हें अपनी सेवा के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 12 वर्षो की सेवा पूरी होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन और 24 वर्षो की नियमित सेवा होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा गठित नियमावली की धाराओं एवं पत्रांक-5151 दिनांक-21.05.2013 के आलोक में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रभावी होने की तिथि-01.01.2009 को नियमित रूप से नियुक्त वैसे कर्मियों जिन्हें अपनी सेवा के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 10 वर्षो की सेवा पूरी होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन, 20 वर्षो की सेवा पूरी होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं 30 वर्षो की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-14.07.2015 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के अनुरूप विभागीय अधिसूचना सं0-11709(भ) दिनांक-23.11.2015 के क्रमांक-1, 2 एवं 3 पर अवस्थित सहायक अभियंताओं क्रमशः श्री उमेश कुमार मंडल, श्री फुलेश्वर प्रसाद मंडल एवं श्री सुभाष कुमार गुप्त को AMIE डिग्रीधारी कोटा के तहत प्रदत्त सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की तिथि को प्रथम योगदान की तिथि मानते हुये अनुमान्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी गयी थी।

2. उपर्युक्त मामले में वेतन पूर्जा निर्गत करने के सिलसिले में वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में उक्त तीनों सहायक अभियंताओं यथा श्री उमेश कुमार मंडल, श्री फुलेश्वर प्रसाद मंडल एवं श्री सुभाष कुमार गुप्त को विभागीय अधिसूचना सं0-11709(भ) दिनांक-23.11.2015 द्वारा प्रदत अनुमान्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को रद्द करते हुये वित्त विभागीय उपर्युक्त आदेशों/संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में उनके कनीय अभियंता के पद पर योगदान को प्रथम योगदान की तिथि मानते हुये 12/10, 24/20 एवं 30 वर्षो की सेवा पूरी होने पर निम्नरुपेण क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित वर्ष 2015 का वरीयता क्रमांक	प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	द्वितीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि एवं वेतनमान	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री उमेश कुमार मंडल	81 **(IV)**	11	29.12.1987 (कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त)	सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत। (29.12.1992)	01.01.2009 (द्वितीय एम0ए0सी0पी0) (पे बैण्ड-15,600-39,100+ग्रेड पे-5,400/-)	—
2.	श्री फुलेश्वर प्रसाद मंडल	91 **(I)**	13	23.12.1982 (कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त)	सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत। (10.10.1993)	23.12.2006 (द्वितीय ए0सी0पी0) (पे बैण्ड-15,600-39,100+ग्रेड पे-6,600/-)	23.12.2012 (तृतीय एम0ए0सी0पी0) (पे बैण्ड-15,600-39,100+ग्रेड पे-7,600/-)
3.	श्री सुभाष कुमार गुप्त	397	66	15.04.1991 (कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त)	सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत (28.04.2000)	15.04.2011 (द्वितीय एम0ए0सी0पी0) (पे बैण्ड-15,600-39,100+ग्रेड पे-5,400/-)	—

3. भवन निर्माण विभागीय अधिसूचना सं0–4121(भ) दिनांक–09.05.2016 द्वारा श्री गजाधर मंडल, सहायक अभियंता (वरीयता क्रमांक–77 / 2015) को दिनांक–31.07.2008 के प्रभाव से पे बैंड–2 (9,300–34,800)+ग्रेड पे–5,400 / – से पे बैंड–3 (15,600–39,100)+ग्रेड पे–5,400 / – में वेतन उत्क्रमण का लाभ स्वीकृत किया गया है जो एम0ए0सी0पी0 योजना–2010 (वित्त विभागीय पत्रांक–630 दिनांक–21.01.2010 एवं 5153 दिनांक–21.05.2013) के तहत एक वित्तीय उन्नयन है, के आलोक में उपर्युक्त वर्णित विभागीय अधिसूचना सं0–11709(भ) दिनांक–23.11.2015 के क्रमांक–4 पर श्री गजाधर मंडल, सहायक अभियंता (वरीयता क्रमांक–77 / 2015) को दिनांक–01.09.2014 के प्रभाव से प्रदत प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (पे बैंड–3 / 15,600–39,100+ग्रेड पे–6,600 / –) की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

4. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–11709(भ) दिनांक–23.11.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

5. महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों के सेवा इतिहास की सम्यक जॉचोपरान्त वेतन का निर्धारण कर वेतन पूर्जा निर्गत किया जाएगा।

6. संशोधित अधिसूचना के आलोक में अन्तर राशि का भुगतान / वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

7. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

Sd/- 28.10.16

(उमेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : भवन / स्था0–02–विविध–910 / 2015 10662 (भ) **पटना, दिनांक–** 28/10/16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधि0सं0–11709(भ) दिनांक–23.11.2015 एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग पत्रांक–2381(21) दिनांक–28.12.2015 एवं 175(21) दिनांक–18.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 28.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : भवन / स्था0–02–विविध–910 / 2015 10662 (भ) **पटना, दिनांक–** 28/10/16

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधि0सं0–11709(भ) दिनांक–23.11.2015 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–1496 दिनांक–24.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 28.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : भवन / स्था0–02–विविध–910 / 2015 10662 (भ) **पटना, दिनांक–** 28/10/16

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित विभागीय अधि0सं0–11709(भ) दिनांक–23.11.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Sd/- 28.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : भवन / स्था0–02–विविध–910 / 2015 10662 (भ) **पटना, दिनांक–** 28/10/16

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु विभागीय अधि0सं0–11709(भ) दिनांक–23.11.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 28.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।